रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015 /CHAITRA 11, 1937

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

सा.का.नि. 245(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (आशुलिपिक श्रेणी -I, श्रेणी -II और श्रेणी -III), समूह "ग" भर्ती नियम, 2004, जिसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी -I और श्रेणी -II से है, को उन बातों के अतिरिक्त अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में समूह "ख" पद, आशुलिपिक श्रेणी-I, पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, (आशुलिपिक श्रेणी-I) समूह "ख" भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आशुलिपिक श्रेणी -I	03* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ख ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैन्ड-2 9300-34800 रुपए और ग्रेड वेतन 4200 रूपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 66.67 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 33.33% प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति** वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए और ग्रेड वेतन 2400 रूपये सहित आशुलिपिक श्रेणी-II, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद या क्षेत्रीय उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित। **टिप्पण 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** :- केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद पर	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)** :- 1. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3. उप सचिव या अवर सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान - सदस्य **समूह 'क'** विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए :- 1. संयुक्त सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) - अध्यक्ष – सदस्य 3. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि एवं सहकारिता विभाग – सदस्य 4. निदेशक (केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान),फरीदाबाद – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

		ऐसे अधिकारी - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 2800 रु. सहित नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष नियमित सेवा की हो या समतुल्य; या (iii) मूल काडर या विभाग में, वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा की हो या समतुल्य; **टिप्पण – 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण – 2** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 5-12/2009-आईएनएम]

भैरव दत्त, अवर सचिव (आईएनएम)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2015

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, (Stenographer Grade-I, Grade-II and Grade-III), Group 'C' posts Recruitment Rules, 2004, in so far as it relates to the post of Stenographer Grade-I and Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'B' post of Stenographer Grade-I in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :-

1. **Short title and commencement** .-- (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad (Stenographer Grade-I) Group 'B' post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale .** – The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with order issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Stenographer Grade – I.	3* (2015) * Subject to variation dependant on Work load.	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4200	Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 66.67% by promotion, failing which by deputation; and (ii)33.33% by deputation.	**Promotion:** Stenographers Grade II of Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad or Regional Fertilizer Control Laboratories, in the pay band-1, Rs.5200-20200/- with grade pay of Rs.2400 with ten years' regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services, or two years', whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note:2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006/ the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation:** Officers holding the posts of Stenographer under the Central Government: a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2400 or equivalent in the parent cadre or department. **Note1:-**The departmental officers in feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of this receipt of applications).	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :-** 1.Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute-Chairman; 2.Joint Director or Deputy Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute – Member; 3.Deputy Secretary or Under Secretary (Integrated Nutrient Management) of Department of Agriculture and Cooperation:- Member; 4.Administrative Officer, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

	Note 2:- For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay or pay scale, and wave this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		

[F.No.5-12/2009-INM]

BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.